7 to 12 March Current

YOJNA IAS

THE HINDU

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

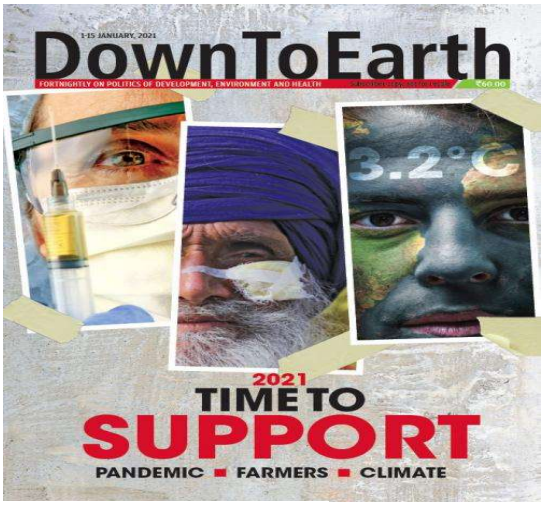

ET THE ECONOMIC TIMES

कवच

- हाल ही में भारतीय रेलवे ने दो ट्रेनों को एक-दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ाते हुए **'कवच'-स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली** का परीक्षण किया।
- **कवच प्रणाली** की घोषणा वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत पहल के एक भाग के रूप में की गई थी। वर्ष 2022-23 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि को हेतु लगभग 2,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी प्रणाली के तहत लाने की योजना है।

कवच (Kavach):

- यह भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, जो **ट्रेन कोलिज़न बचाव प्रणाली (Train Collision Avoidance System-TCAS)** के नाम से वर्ष 2012 से विकासशील है, जिसे **Armour या "कवच"** नाम दिया गया है।
- यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन उपकरणों का एक सेट है जो लोकोमोटिव तथा सिग्नलिंग सिस्टम के साथ-साथ पटरियों में भी स्थापित होता है।
- वे ट्रेनों के ब्रेक को नियंत्रित करने के लिये **अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी** का उपयोग करके एक-दूसरे से जुड़ते हैं तथा ड्राइवरों को सतर्क भी करते हैं, ये सभी प्रोग्राम के आधार पर होते हैं।
- TCAS या कवच में **यूरोपीय ट्रेन सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली, स्वदेशी एंटी कोलिज़न डिवाइस जैसे परीक्षण** किये गए प्रमुख घटक पहले से ही शामिल हैं।
- इसमें भविष्य में **हाई-टेक यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल-2 जैसी** विशेषताएँ भी होंगी।
- कवच का वर्तमान स्वरूप **सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल (Safety Integrity Level-SIL) 4** नामक उच्चतम स्तर की सुरक्षा और विश्वसनीय मानक का पालन करता है।

- **SIL** दो स्वैच्छिक मानकों के साथ **खतरनाक कार्यों के लिये सुरक्षा प्रदर्शन आवश्यकताओं** को मापने हेतु संयंत्र मालिकों/संचालकों द्वारा उपयोग किया जाता है।
- चार SIL स्तर (1-4) हैं। एक उच्च SIL स्तर का अर्थ है कि प्रक्रियात्मक खतरा अधिक है और उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता है।
- नए रूप में, भारत 'कवच' को एक निर्यात योग्य प्रणाली के रूप में स्थापित करना चाहता है, जो दुनिया भर में प्रचलित यूरोपीय प्रणालियों का एक सस्ता विकल्प है।
- जबकि अब कवच अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का उपयोग करता है, इसे 4G लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (LTE) तकनीक के साथ संगत और वैश्विक बाज़ारों के लिये उत्पाद बनाने हेतु काम चल रहा है।
- सिस्टम को ऐसा बनाने के लिये काम जारी है कि यह विश्व स्तर पर पहले से स्थापित अन्य सिस्टम्स के साथ संगत हो सके।

महत्त्व:

सुरक्षा:

- कवच प्रणाली से रेल पटरियों पर ट्रेनों की टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।
- एक बार सिस्टम सक्रिय हो जाने के बाद 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर सभी ट्रेनें आसन्न पटरियों पर ट्रेनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये रुकेंगी।
- वर्तमान में लोको-पायलट या सहायक लोको-पायलट को सावधानी संकेतों को देखना होता है।

लागत:

- दुनिया भर में इस प्रकार की परियोजनाओं (लगभग 2 करोड़ रुपए) की तुलना में इसे संचालित करने में केवल 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च ही आएगा।

संचार:

- इसमें सिग्नलिंग इनपुट को इकट्ठा करने के लिये स्थिर उपकरण भी शामिल होंगे और ट्रेन के चालक दल तथा स्टेशनों के साथ निर्बाध संचार को सक्षम करने के लिये उन्हें एक केंद्रीय प्रणाली में रिले किया जाएगा।

'विश्व वन्यजीव दिवस'

- वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष 3 मार्च को 'विश्व वन्यजीव दिवस' का आयोजन किया जाता है।
- गौरतलब है कि इसी तिथि पर वर्ष 1973 में वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापर पर कन्वेंशन (CITES) को अंगीकृत किया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्र के कैलेंडर में वन्यजीवों हेतु इस विशेष दिन का वैश्विक पालन सुनिश्चित करने हेतु CITES सचिवालय द्वारा निर्देशित किया जाता है।

वर्ष 2022 का थीम:

- **थीम:** पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली हेतु प्रमुख प्रजातियों की पुनर्बहाली।
- इस विषय को वन्यजीवों और वनस्पतियों की सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों में से कुछ के संरक्षण की स्थिति पर ध्यान आकर्षित करने के तरीके के रूप में चुना गया है।

इस दिवस का महत्त्व:

- यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों- 1, 12, 14 और 15 के साथ संरेखित है तथा गरीबी को कम करने, संसाधनों का सतत् उपयोग सुनिश्चित करने एवं जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिये भूमि पर एवं जल के नीचे जीवन के संरक्षण को लेकर उनकी व्यापक प्रतिबद्धताओं के साथ भी संरेखित है।
- हमारा ग्रह वर्तमान में तमाम चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो कि जैव विविधता का नुकसान पहुँचाती हैं और इसके कारण आने वाले दशकों में एक लाख प्रजातियाँ लुप्त हो सकती हैं।

जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों की मौजूदा स्थिति:

- वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लगभग 8000 से अधिक प्रजातियाँ लुप्तप्राय हैं और 30,000 से अधिक प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं।

- यह भी अनुमान लगाया गया है कि लगभग एक लाख प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं।
- भारत में सभी दर्ज प्रजातियों का 7-8% हिस्सा है, जिसमें पौधों की 45,000 से अधिक प्रजातियाँ और जानवरों की 91,000 प्रजातियाँ शामिल हैं।
- भारत दुनिया के सबसे जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है, जहाँ तीन जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं- पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और इंडो-बर्मा हॉटस्पॉट।
- देश में 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, 11 बायोस्फीयर रिज़र्व और 39 रामसर स्थल हैं।
- भारत में कई वन्यजीव संरक्षण पार्क और अभयारण्य हैं, जिनमें उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान में रणथम्भौर नेशनल पार्क, गुजरात में गिर नेशनल पार्क, कर्नाटक में बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, केरल में पेरियार नेशनल पार्क, लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आदि शामिल हैं।
- प्रजातियों के विलुप्त होने में मानव गतिविधियों के साथ-साथ मुख्य कारकों में शामिल हैं- शहरीकरण के कारण निवास स्थान का नुकसान, अतिशोषण, प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से स्थानांतरित करना, वैश्विक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन आदि।
- अवैध वन्यजीव व्यापार के कारण पौधों और जंगली जानवरों की आबादी को भी नुकसान पहुँच रहा है तथा लुप्तप्राय प्रजातियों को विलुप्त होने की ओर धकेल रहा है। इसके कई सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम भी हो सकते है जैसे कि ज़ूनोटिक रोगजनकों का प्रसार।

वन्यजीव संरक्षण के लिये भारत का घरेलू कानूनी ढाँचा:

वन्यजीवों के लिये संवैधानिक प्रावधान:

- 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से वन और वन्य पशुओं तथा पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।
- संविधान के अनुच्छेद 51 A (G) में कहा गया है कि वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा।

- **राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों** के तहत अनुछेद 48 a में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

कानूनी ढाँचा:

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
- जैव विविधता अधिनियम, 2002

वैश्विक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में भारत का सहयोग:

- वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापर पर कन्वेंशन (CITES)
- वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS)
- जैविक विविधता पर अभिसमय (CBD)
- विश्व विरासत अभिसमय
- रामसर अभिसमय
- वन्यजीव व्यापारनिगरानी नेटवर्क
- वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम
- अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ
- ग्लोबल टाइगर फोरम

यिलान क्रेटर

- हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने उत्तर-पूर्व चीन में एक लाख साल के अंदर का दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर खोजा है। चीन में खोजा गया यह दूसरा इम्पैक्ट क्रेटर है।

- क्रेटर किसी खगोलीय वस्तु पर एक गोल या लगभग गोल आकार के गड्ढे को कहते हैं जो किसी विस्फोटक ढंग से बना हो।
- यह ज्वालामुखी के फटने से बन सकता है; अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंड के प्रहार से बन सकता है; या फिर जमीन के अंदर किसी अन्य विस्फोट के जरिए भी इसका निर्माण हो सकता है।

क्रेटर कई प्रकार के होते हैं जैसे कि

- प्रहार क्रेटर, जो एक छोटी वस्तु का किसी बड़ी वस्तु से बहुत ऊंची रफ़्तार से टकराने पर बन जाता है। उदाहरण के तौर पर एस्टेरॉयड या उल्कापिंड के टकराने से प्रहार क्रेटर का निर्माण होता है।
- ज्वालामुखीय क्रेटर, जो ज्वालामुखीय विस्फोटों से बन जाता है।
- धंसाव क्रेटर, जो ज़मीन के नीचे किसी विस्फोट जैसे कि परमाणु परीक्षण आदि से बनता है। इसमें जमीन नीचे की ओर धंस जाती है।
- मार क्रेटर जो खौलते हुए लावा में पानी मिल जाने पर हुए विस्फोट से बन जाता है।
- बिल क्रेटर, जो ज़मीन के नीचे ख़ाली स्थान या गुफा के ऊपर की छत गिर जाने से बन जाता है।
- विस्फोट क्रेटर, जो ज़मीन के नीचे हुए विस्फोट से मलबा बाहर की ओर फेंके जाने पर बन जाता है यानी इसमें जमीन नीचे की ओर नहीं धंसती।

- चीन में जिस नए क्रेटर का पता चला है उसका नाम है यिलान क्रेटर। यह क्रेटर करीब 1 लाख साल के अंदर बना था। यह चीन के तटीय प्रांत लियाओनिंग के शिउयान काउंटी में है।
- करीब 1.85 किलोमीटर व्यास वाला यह क्रेटर जिंगआन पहाड़ के निचले हिस्से में बना है। रेडियोकार्बन डेटिंग से पता चला है कि इसका निर्माण करीब 46 हजार से 53 हजार साल के बीच हुआ है। यहां मौजूद चारकोल और अन्य जैविक पदार्थों की जांच से यह पता चला है।
- इस क्रेटर को लेकर जो भी अध्ययन किया गया है उसे 'मेटियोरिटिक्स एंड प्लेनेटरी' नाम के साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है।

- यिलान क्रेटर का दक्षिणी हिस्सा गायब है, जिसकी वजह से यह चांद के आकार का दिखता है। ऐसा लगता है कि यहां पर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने गड्ढे की दीवार को तोड़ दिया।
- विशेषज्ञों का मानना है कि चांद की तरह दिखने वाले इस क्रेटर का निर्माण किसी एस्टेरॉयड या उल्कापिंड के टकराने से बना है। अभी तक एक लाख साल के अंदर बने सबसे बड़े क्रेटर का रिकॉर्ड अमेरिका के एरिजोना स्थित मिटियोर क्रेटर के नाम था।
- यह 49 से 50 हजार साल के बीच बना था। इसका व्यास 1.2 किलोमीटर था। इसके अलावा चीन में जियुयान नाम का एक और क्रेटर है जो 1.8 किलोमीटर व्यास का है, लेकिन अभी इसकी उम्र का पता नहीं लगाया जा सका है
- पृथ्वी पर मौजूद अब तक लगभग 190 क्रेटर्स के बारे में पता लगाया जा चुका है, जिन्हें वैज्ञानिकों ने उम्र के आधार पर बांट रखा है।
- दक्षिण अफ्रीका के फ्री स्टेट में मौजूद करीब 200 करोड़ साल पुराना 'व्रेडेफोर्ट क्रेटर' दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना क्रेटर है। इसका व्यास करीब 380 किलोमीटर का है। यूनेस्को ने इसे 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था।

वैक्यूम बम

- रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज बारहवाँ दिन है। दुनिया भर के तमाम देश रूसी राष्ट्रपति पुतिन से इस युद्ध को रोकने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन पुतिन एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बदले में यूक्रेन भी मोर्चे पर डटा हुआ है।
- इसी बीच यूक्रेन ने रूस पर प्रतिबंधित क्लस्टर और वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। यूक्रेनियन राष्ट्रपति व्लादिमीर

जेलेंस्की ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन इन हथियारों का प्रयोग कर युद्ध अपराध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन हमलों में कई आम नागरिकों की मौत हुई है।

वैक्यूम बम:

- वैक्यूम बम उच्च शक्ति वाला एक बेहद ही विस्फोटक हथियार है, जो वातावरण का इस्तेमाल कर अपनी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा लेने में सक्षम होता है।
- वैक्यूम बम को थर्मोबैरिक हथियार भी कहा जाता है। यह अब तक विकसित सबसे शक्तिशाली गैर-परमाणु हथियारों में से एक है। इसी के चलते इस हथियार को जिनेवा सम्मेलन के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- इस बम को फादर ऑफ ऑल बम भी कहा जाता है। इससे परमाणु बम की तरह गर्मी पैदा होती है और यह धमाके के साथ अल्टासोनिक शॉकवेब निकालता है जो और अधिक तबाही लाता है।

कार्यप्रणाली:

- वैक्यूम बम तापमान को काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ाने के लिए अपने आसपास के ऑक्सीजन को सोख लेता है। इस तरह ऑक्सीजन सोख लेने के कारण ये बम पारंपरिक हथियारों के मुकाबले ज्यादा तबाही मचाता है।
- ये हथियार पहले तो हवा में एक खास किस्म का स्प्रे छोड़ते हैं, जिनमें धातु, ज्वलनशील धूल या केमिकल ड्रॉप के बहुत बारीक कण होते हैं।
- ये स्प्रे वातावरण में चारों ओर फैल जाते हैं, खासकर शहरी इलाकों और दुश्मनों के बंकर के अंदर तक आसानी से घुस जाते हैं। उसके बाद बम में लगा इग्निशन सोर्स आग को पैदा करता है, जो बहुत तेजी से पूरे इलाके में फैलकर एक जबरदस्त और खतरनाक वैक्यूम बनाता है।
- इस तरह हुए विस्फोट की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि घरों की छतें तक उड़ जाती हैं। बंकर बर्बाद हो जाते हैं और उसमें मौजूद लोगों के शरीर के परखच्चे उड़ जाते हैं। जो इंसान बम के नजदीक मौजूद होता

है वह तो तुरंत भाप में बदल जाता है। दूर के लोगों पर भी इसका इतना प्रभाव पड़ता है कि उनके शरीर के आंतरिक अंगों से खून बहने लगता है।

- थर्मोबैरिक हथियारों को 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने विकसित किया था। अमेरिका और रूस दोनों ही देशों ने इस तरह के बमों के कई वर्जन बनाए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण उन्होंने इसे न तो किसी दूसरे देश को बेचा है और न ही सार्वजनिक तौर पर कहीं इस्तेमाल किया है।
- सितंबर 2007 में रूस ने अब तक के सबसे बड़े थर्मोबैरिक हथियार में विस्फोट किया, जिससे 39.9 टन के बराबर ऊर्जा निकली थी। वहीँ अमेरिका के थर्मोबैरिक हथियारों के प्रत्येक यूनिट की कीमत तकरीबन 16 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है।

जन औषधि दिवस

- 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए मनाया गया।
- इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस योजना के लाभार्थियों के साथ वर्चुअली बातचीत करेंगे।

जन औषधि केंद्र

- यह केंद्र दुनिया में सबसे बड़ी खुदरा फार्मा श्रृंखला है। यह केंद्र 700 जिलों में फैले हुए हैं। भारत में ऐसे 6,200 से अधिक केंद्र हैं। 2019-20 में, इन आउटलेट्स पर कुल बिक्री 390 करोड़ रुपये से अधिक थी।
- इससे आम लोगों की 2,200 करोड़ रुपये की बचत हुई है। उपरोक्त लाभों के अलावा, ये केंद्र स्व-रोजगार के अच्छे स्रोत हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP)

- प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना को फार्मास्युटिकल विभाग द्वारा सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाली दवाइयां प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
- इस योजना के तहत "प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र" नाम से विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं, ताकि कम कीमत पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
- इन जेनेरिक दवाओं की खरीद ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया (BPPI) द्वारा की जाती है, जिसे सभी CPSU के समर्थन से फार्मास्युटिकल्स विभाग के तहत स्थापित किया गया है। BPPI इन जनऔषधि केंद्र के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के विपणन में भी मदद करता है।

पृष्ठभूमि

- यह योजना 2008 में यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई थी। वर्ष 2015 में, इस योजना को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिर से शुरू किया गया था।
- यह अभियान देश भर में "जन औषधि मेडिकल स्टोर" के माध्यम से जेनेरिक दवाओं की बिक्री द्वारा शुरू किया गया था।
- सितंबर 2015 में 'जन औषधि योजना' का नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना' (PMJAY) कर दिया गया था। इसे नवंबर 2016 में "प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना" कर दिया गया।

थेय्यम: केरल पर्यटन विभाग

- हाल ही में केरल पर्यटन विभाग ने सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये 'थेय्यम' प्रदर्शन नामक एक वार्षिक मंदिर उत्सव की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है।

थेय्यम:

- **थेय्यम** केरल और कर्नाटक राज्य में नृत्य पूजा का एक लोकप्रिय अनुष्ठान है।
- इसमें हज़ारों साल पुरानी परंपराएँ और रीति-रिवाज शामिल हैं।
- लोग थेय्यम को स्वयं को भगवान से जुड़ने के एक माध्यम के रूप में मानते हैं और इस प्रकार वे थेय्यम से आशीर्वाद मांगते हैं।
- प्रत्येक थेय्यम एक पुरुष या एक महिला है, जिसने वीर कर्म करके या पुण्य जीवन व्यतीत करके दैवीय स्थिति प्राप्त की है।
- अधिकांश थेय्यम को शिव या शक्ति (शिव की पत्नी) का अवतार माना जाता है या हिंदू धर्म के इन प्रमुख देवताओं के साथ उनके मज़बूत संबंध हैं।
- 400 से अधिक थेय्यम के कारक मौजूद हैं। इनमें से कुछ बहुत महत्त्वपूर्ण हैं।

थेय्यम के प्रमुख प्रकार:

विष्णुमूर्ति:

- केवल दो वैष्णव थेय्यम हैं - दैवतार और विष्णुमूर्ति।
- ये थेय्यम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं।
- ये थेय्यम पलन्थाई कन्नन की कहानी बताता है, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे।

गुलिकन:

- गुलिकन को मृत्यु और न्याय के हिंदू देवता यम का अवतार माना जाता है।

- भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार, गुलिकन भगवान शिव के सबसे महत्वपूर्ण योद्धाओं में से एक थे।

कुट्टीचथन:

- यह ब्राह्मण जाति का थेय्यम है।
- माना जाता है कि कुट्टीचथन थेय्यम की उत्पत्ति विष्णु माया में भगवान शिव के लिये हुई थी।

हंसा-एनजी: स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर

- हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी 'फ्लाइंग ट्रेनर' हंसा-एनजी ने 19 फरवरी से 5 मार्च, 2022 तक पुद्दुचेरी में समुद्र स्तर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है।
- इसे **सीएसआईआर-राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनएएल)** द्वारा विकसित किया गया है।
- वर्ष 1959 में स्थापित **वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद** (CSIR) की एक घटक राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला (एनएएल) देश के नागरिक क्षेत्र में एकमात्र सरकारी एयरोस्पेस अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है।
- वैज्ञानिक और औधोगिक अनुसंधान परिषद् (CSIR) भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास (R&D) संगठन है।

हंसा-एनजी की विशेषताएँ

- 'हंसा-एनजी' सबसे उन्नत उड़ान प्रशिक्षकों में से एक है।
- 'हंसा-एनजी, 'हंसा' का उन्नत संस्करण है, जिसने वर्ष 1993 में पहली उड़ान भरी थी, और इसे वर्ष 2000 में प्रमाणित किया गया था।

- केंद्र ने 2018 में **हंसा-एनजी और ग्लास कॉकपिट** के साथ एनएएल **रेट्रो-संशोधित हंसा -3 विमान (Retro-modified HANSA-3 Aircraft)** को मंज़ूरी दी तथा इसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा प्रमाणित किया गया और एयरो-इंडिया 2019 में विमान का प्रदर्शन किया गया।
- यह **रोटैक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन (Rotax Digital Control Engine)** द्वारा संचालित होता है जिसे भारत में **फ्लाइंग क्लबों (Flying Clubs)** द्वारा ट्रेनर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता को पूरा करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- यह कम लागत और कम ईंधन खपत के कारण वाणिज्यिक पायलट लाइसेंसिंग (Commercial Pilot Licensing-CPL) हेतु एक आदर्श विमान है।

राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला (National Aerospace Laboratories – NAL)

- NAL की स्थापना 1959 में नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) द्वारा की गई थी। यह भारत की पहली और सबसे बड़ी एयरोस्पेस रिसर्च फर्म है।
- NAL की मुख्य जिम्मेदारी भारत में नागरिक विमान विकसित करना है। यह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के साथ मिलकर काम करता है।

पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार: FATF

- हाल ही में **फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स** (FATF) ने पाकिस्तान को 'ग्रे लिस्ट' या 'इन्क्रीज्ड मॉनीटरिंग लिस्ट' में बनाए रखा है। FATF में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) शामिल है जिसके साथ भारत ने फरवरी 2021 में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- FATF की ग्रे लिस्ट में 17 देश हैं।
- एक समीक्षा के बाद ज़िम्बाब्वे को सूची से बाहर कर दिया गया है क्योंकि यह सभी मापदंडों का अनुपालन करता है।

परिचय:

- FATF ने 34 में से 32 कार्य बिंदुओं को पूरा करने के बावजूद मौजूदा पाकिस्तान को श्रेणी से हटाने का फैसला किया।
- इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने **FATF की वर्ष 2018 की कार्य योजना में 27 में से 26 कार्य मदों** और FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लांड्रिंग की 2021 की कार्य योजना की सात कार्य मदों को पूरा किया है।
- जून 2021 में पाकिस्तान की 2019 एपीजी म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट में पहचानी गई अतिरिक्त कमियों के जवाब में पाकिस्तान ने एक नई कार्य योजना के अनुसार इन रणनीतिक कमियों को दूर करने के लिये उच्च-स्तरीय प्रतिबद्धता ज़ाहिर की, जो मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने पर केंद्रित है।
- देश में कुल 34 कार्य बिंदुओं के साथ दो समवर्ती कार्य योजनाएँ थीं, जिनमें से 30 को या तो पूरी तरह से या बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण को रोकने के लिये संबोधित किया गया था।
- FATF ने पाकिस्तान को प्रगति जारी रखने के लिये प्रोत्साहित एवं आतंकवाद के वित्तपोषण की जाँच और अभियोजन के प्रयासों के लिये प्रेरित किया।
- जून 2018 के बाद से पाकिस्तान ने FATF और APG के साथ काम करने के लिये एक उच्च-स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता ज़ाहिर की, ताकि अपने धनशोधन विरोधी/आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) का मुकाबला करने तथा आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण संबंधों को मज़बूत किया जा सके।

पृष्ठभूमि:

- FATF ने जून 2018 में पाकिस्तान को 'ग्रे सूची' में रखने के बाद 27 सूत्रीय कार्रवाई योजना जारी की थी। यह कार्रवाई योजना धन शोधन और आतंकी वित्तपोषण पर अंकुश लगाने से संबंधित है।
- पाकिस्तान को पहली बार वर्ष 2008 में सूची में रखा गया था, वर्ष 2009 में इसे सूची से हटा दिया गया और वर्ष 2012 से वर्ष 2015 तक यह पुनः निगरानी के अधीन रहा।
- 'ग्रे लिस्ट' में शामिल होने के कारण किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और एशिया विकास बैंक जैसी विश्व संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF):

- FATF का गठन वर्ष 1989 में जी-7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था।
- FATF मनी लांड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में विधायी और नियामक सुधार लाने के लिये आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने का काम करता है। यह व्यक्तिगत मामलों को नहीं देखता है।

उद्देश्य:

- FATF का उद्देश्य मनी लॉड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिये अन्य कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।

मुख्यालय:

- इसका सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग विकास संगठन (OECD) के मुख्यालय में स्थित है।

सदस्य देश:

- वर्तमान में FATF में भारत समेत 39 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद) शामिल हैं। भारत वर्ष 2010 से FATF का सदस्य है।

FATF की सूचियाँ:

ग्रे लिस्ट:

- जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिये सुरक्षित स्थल माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है।
- इस सूची में शामिल किया जाना संबंधित देश के लिये एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया सकता है।

ब्लैक लिस्ट:

- असहयोगी देशों या क्षेत्रों (Non-Cooperative Countries or Territories- NCCTs) के रूप में पहचाने गए देशों को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।
- इस सूची में देशों को शामिल करने अथवा हटाने के लिये FATF इसे नियमित रूप से संशोधित करती है।
- वर्तमान में, ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (DPRK) उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार या ब्लैक लिस्ट में हैं।

सत्र:

- FATF प्लेनरी, FATF का निर्णय लेने वाला निकाय है। इसके सत्रों का आयोजन प्रतिवर्ष तीन बार होता है।

भोजपुरी: 'संविधान की आठवीं अनुसूची

- हाल ही में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, कि उनकी सरकार 'भोजपुरी' को 'संविधान की आठवीं अनुसूची' (Eighth schedule to the Constitution) में शामिल करने संबंधी काफी समय से लंबित अपनी मांग को फिर से तेज करेगी।

- 'आठवीं अनुसूची' ने शामिल होने के बाद भोजपुरी को एक राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो सकेगा।
- राज्य मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2017 में, इस संबंध में एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था।

संविधान की आठवीं अनुसूची:

- भारतीय संविधान के भाग XVII में **अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351** तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान किये गए हैं।

आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 344:** अनुच्छेद 344(1) में संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
- **अनुच्छेद 351:** इसके तहत, हिंदी भाषा के विकास हेतु इसका प्रसार करने के संबंध में प्रावधान किये गए हैं, जिससे कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।
- वर्तमान में, **संविधान की आठवीं अनुसूची में**, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, कुल **22 भाषाएँ** शामिल है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

- हाल ही में, 'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग' (National Commission for Protection of Child Rights – NCPCR) द्वारा अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया गया।

NCPCR के बारे में:

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की स्थापना, दिसंबर 2005 में पारित संसद के एक अधिनियम 'बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम' 2005 (Commissions for Protection of Child Rights (CPCR) Act, 2005) के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी।
- आयोग ने 5 मार्च 2007 से अपना कार्य आरंभ किया।
- 'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग' महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सांविधिक निकाय है।

अधिदेश:

- **आयोग का अधिदेश** यह सुनिश्चित करना है, कि समस्त विधियाँ, नीतियां, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र, भारत के संविधान तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में प्रतिपाादित बाल अधिकारों के संदर्श के अनुरूप हो।

'बालक' की परिभाषा:

- 'बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम' 2005 (CPCR Act) के तहत, 'बालक' अथवा 'बच्चे' (Child) को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति के रूप में पारिभाषित किया गया है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के कार्य:

- 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम' **2009 के तहत NCPCR:**
- कानून के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की जांच कर सकता है।
- किसी व्यक्ति को पूछतांछ करने हेतु बुलाना तथा साक्ष्यों की मांग कर सकता है।
- न्यायायिक जांच का आदेश दे सकता है।
- हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकता है।

- अपराधी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से संपर्क कर सकता है।
- प्रभावित लोगों को अंतरिम राहत देने की सिफारिश कर सकता है।

'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग' का गठन:

- इस आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं जिनमें से कम से कम दो महिलाएँ होना आवश्यक है।
- सभी सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, तथा इनका कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।
- आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम आयु 65 वर्ष तथा सदस्यों की अधिकतम आयु 60 वर्ष होती है।

SLINEX (Sri Lanka–India Naval Exercise) 2022

- 7 से 10 मार्च तक, भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLINEX (Sri Lanka–India Naval Exercise) का नौवां संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु

- दो चरणों में यह अभ्यास 7 और 8 मार्च को विशाखापत्तनम में होने वाले हार्बर चरण और 9 और 10 मार्च को बंगाल की खाड़ी में होने वाले समुद्री चरण के साथ आयोजित किया जाएगा।
- अक्टूबर 2020 में, SLINEX का पिछला संस्करण त्रिंकोमाली में आयोजित किया गया था।

- SLNS सयूराला, एक उन्नत अपतटीय गश्ती पोत, श्रीलंकाई नौसेना का प्रतिनिधित्व करेगा, जबकि भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएनएस किर्च, एक निर्देशित मिसाइल कार्वेट द्वारा किया जाएगा।
- भारतीय नौसेना के अन्य प्रतिभागियों में एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH), सीकिंग, आईएनएस ज्योति, फ्लीट सपोर्ट टैंकर, डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और चेतक हेलीकॉप्टर शामिल हैं।

दोनों चरणों के तहत कौन से अभ्यास आयोजित किए जाएंगे?

- हार्बर फेज के तहत सांस्कृतिक, पेशेवर, सामाजिक और खेल का आदान-प्रदान होगा।
- समुद्र के चरण के दौरान सतह और वायु-रोधी हथियार फायरिंग अभ्यास, क्रॉस-डेक फ्लाइंग, सीमैनशिप इवोल्यूशन, समुद्र में विशेष बलों के संचालन और जटिल सामरिक युद्धाभ्यास से जुड़े विमानन संचालन होंगे। इन अभ्यासों से दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच पहले से मौजूद अंतर-संचालन क्षमता में और वृद्धि होगी।

उद्देश्य

- SLINEX का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए आपसी समझ, अंतर्संचालनीयता और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं और प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ाना है।

‘समर्थ’ पहल: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022

- **अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022** के अवसर पर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री ने महिलाओं के लिये एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान - **"समर्थ" (SAMARTH)** की शुरुआत की।

‘समर्थ’ पहल के बारे में:

मंत्रालय की समर्थ पहल के अंतर्गत **इच्छुक और मौजूदा महिला उद्यमियों को निम्नलिखित लाभ उपलब्ध होंगे:**

- मंत्रालय की कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत आयोजित **निशुल्क कौशल विकास कार्यक्रमों में 20 प्रतिशत सीटें** महिलाओं के लिये आवंटित की जाएंगी।
- मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विपणन सहायता के लिये योजनाओं के अंतर्गत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भेजे जाने वाले MSME **व्यापार प्रतिनिधिमंडल का 20 प्रतिशत हिस्सा** महिलाओं के स्वामित्व वाले MSME को समर्पित होगा।
- **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम** (National Small Industries Corporation-NSIC) की **वाणिज्यिक योजनाओं के वार्षिक प्रसंस्करण शुल्क पर 20 प्रतिशत की छूट।**
- NSIC, सूक्षम, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक उद्यम है।
- **उद्यम पंजीकरण** (Udyam Registration) के अंतर्गत **महिलाओं के स्वामित्व वाले MSMEs के पंजीकरण के लिये विशेष अभियान।**
- इस पहल के माध्यम से MSME मंत्रालय **महिलाओं को कौशल विकास और बाज़ार विकास सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित** कर रहा है।

- **ग्रामीण और उप-शहरी क्षेत्रों की 7500 से अधिक महिला उम्मीदवारों** को वित्त वर्ष 2022-23 में प्रशिक्षित किया जाएगा।

- इसके अलावा **हज़ारों महिलाओं को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने व उनके विपणन के अवसर** मिलेंगे।
- साथ ही सार्वजनिक खरीद में महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने के लिये वर्ष 2022-23 के दौरान NSIC की निम्नलिखित वाणिज्यिक योजनाओं पर वार्षिक प्रसंस्करण शुल्क पर 20 प्रतिशत की विशेष छूट की **पेशकश की जाएगी:**
    - एकल बिंदु पंजीकरण योजना
    - कच्चे माल की सहायता और बिल में छूट
    - निविदा विपणन
    - B2B पोर्टल एमएसएमईमार्ट.कॉम

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस:

- यह प्रतिवर्ष **8 मार्च** को मनाया जाता है। इसमें शामिल हैं:
- महिलाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाना,
- महिलाओं की समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाना,
- त्वरित लैंगिक समानता का समर्थन करना,
- महिला-केंद्रित दान आदि के लिये धन एकत्रित करना।

संक्षिप्त इतिहास:

- महिला दिवस **पहली बार वर्ष 1911** में क्लारा ज़ेटकिन द्वारा मनाया गया था, जो कि जर्मन महिला थीं। इस उत्सव की जड़ें मज़दूर आंदोलन में निहित थीं।
- वर्ष 1913 में इस दिवस को 8 मार्च को मनाने का निर्णय लिया गया था और तब से यह इसी दिन मनाया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार वर्ष 1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया।
- दिसंबर 1977 में महासभा ने एक संकल्प को अपनाया जिसमें **महिला अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिये संयुक्त राष्ट्र दिवस** की घोषणा की गई तथा जिसे सदस्य देशों द्वारा अपनी ऐतिहासिक व राष्ट्रीय परंपराओं के अनुसार वर्ष के किसी भी दिन मनाया जाएगा।

वर्ष 2022 की थीम:

- "एक स्थायी कल के लिये आज लैंगिक समानता" (Gender equality today for a sustainable tomorrow)।

संबंधित डेटा:

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, कानूनी प्रतिबंधों ने **2.7 बिलियन महिलाओं को पुरुषों के समान नौकरियों तक पहुँच से वंचित रखा है।**
- वर्ष 2019 तक संसद में **महिलाओं की भागीदारी 25% से कम** थी।
- **प्रत्येक तीन में से एक महिला लिंग आधारित हिंसा का अनुभव करती है।**
- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2019 में **कोविड महामारी** से पहले, भारत में **महिला श्रम बल की भागीदारी** 20.5% थी, जबकि तुलनात्मक रूप से महिलाओं के लिये यह अनुमान 76% था।
- विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक /ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स (जो लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को मापता है) के अंतर्गत भारत दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है, वर्ष **2021 में यह 156 देशों में 140वें स्थान पर** रहा।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-5 के अनुसार, वर्ष 2015-16 के 53% की तुलना में वर्ष **2019-21 में 15-49 आयु वर्ग की 57% महिलाएँ रक्ताल्पता से पीड़ित** थीं।

भारत में महिलाओं के लिये सुरक्षात्मक उपाय:

संवैधानिक सुरक्षा उपाय:

- **मूल अधिकार:** यह सभी भारतीयों को समानता का अधिकार (अनु. 14), लिंग के आधार पर राज्य द्वारा किसी प्रकार का विभेद नहीं **[अनुच्छेद 15(1)]** किये जाने और महिलाओं के पक्ष में राज्य द्वारा किये जाने वाले विशेष प्रावधानों की गारंटी देता है **[अनुच्छेद 15 (3)]।**

- **मौलिक कर्तव्य:** संविधान **अनुच्छेद 51 (A)(e)** के माध्यम से महिलाओं की गरिमा के लिये अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने हेतु प्रत्येक नागरिक हेतु मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है।

विधिक उपाय:

- **घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005:** यह घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को अभियोजन के माध्यम से व्यावहारिक उपचार के साधन प्रदान करता है।
- **दहेज निषेध अधिनियम, 1961**: यह दहेज के अनुरोध, भुगतान या स्वीकृति को प्रतिबंधित करता है।
- **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:** यह विधायी अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने का प्रयास करता है।
- **संबंधित योजनाएँ:** महिला ई-हाट, महिला प्रौद्योगिकी पार्क, **'जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस' (Gender Advancement for Transforming Institutions-GATI)** इत्यादि।

महिलाओं से संबंधित वैश्विक सम्मेलन:

संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं पर 4 विश्व सम्मेलन आयोजित किये हैं:

- मेक्सिको सिटी, **1975**
- कोपेनहेगन, **1980**
- नैरोबी, **1985**
- बीजिंग, **1995**

- बीजिंग में आयोजित **महिलाओं पर चौथा विश्व सम्मेलन (WCW),** संयुक्त राष्ट्र की अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक था और लैंगिक समानता एवं महिलाओं के सशक्तीकरण पर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के संदर्भ में यह एक महत्त्वपूर्ण मोड़ था।

- **बीजिंग घोषणापत्र** महिला सशक्तीकरण का एक एजेंडा है और इसे लैंगिक समानता पर प्रमुख वैश्विक नीति दस्तावेज़ माना जाता है।
- यह **महिलाओं की उन्नति, स्वास्थ्य तथा सत्ता में स्थापित एवं निर्णय लेने वाली महिलाओं, बालिकाओं व पर्यावरण जैसी चिंताओ के 12 महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में लैंगिक समानता की उपलब्धि** के लिये रणनीतिक उद्देश्यों और कार्यों को निर्धारित करता है।
- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने विकासशील देशों में गरीब महिलाओं के लिये एक अस्थायी मूल आय का प्रस्ताव किया है, ताकि उन्हें कोरोना महामारी के प्रभावों से निपटने में मदद मिल सके और प्रतिदिन उनके सामने आने वाले आर्थिक दबाव को कम किया जा सके।

सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले

- हाल ही में 19वीं सदी के समाज सुधारकों में शामिल **सावित्रीबाई** और **ज्योतिराव फुले** की "कम उम्र में हुई शादी का कथित तौर पर मज़ाक उड़ाने के लिये महाराष्ट्र के राज्यपाल की आलोचना की गई थी।

- महात्मा ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की गिनती भारत के सामाजिक एवं शैक्षिक इतिहास में एक असाधारण युगल के रूप में की जाती है।
- उन्होंने महिला शिक्षा और सशक्तीकरण की दिशा में तथा जाति एवं लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने में पथप्रदर्शक का कार्य किया।

सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले:

- वर्ष 1840 में जब बाल विवाह एक सामान्य बात थी, उस समय 10 साल की उम्र में सावित्रीबाई का विवाह ज्योतिराव से कर दिया गया, जो कि उस समय 13 वर्ष के थे।
- बाद के समय में इस जोड़े ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का भी वकालत की।

ज्योतिराव फुले:

- ज्योतिराव फुले एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्त्ता, विचारक, जातिप्रथा-विरोधी समाज सुधारक और महाराष्ट्र के लेखक थे।
- उन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है।
- **शिक्षा:** वर्ष 1841 में फुले का दाखिला स्कॉटिश मिशनरी हाईस्कूल (पुणे) में हुआ, जहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की।
- **विचारधारा:** उनकी विचारधारा स्वतंत्रता, समतावाद और समाजवाद पर आधारित थी।
- फुले थॉमस पाइन की पुस्तक 'द राइट्स ऑफ मैन' से प्रभावित थे और उनका मानना था कि सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका महिलाओं व निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान करना था।
- **प्रमुख प्रकाशन:** तृतीया रत्न (1855); पोवाड़ा: छत्रपति शिवाजीराज भोंसले यंचा (1869); गुलामगिरि (1873), शक्तारायच आसुद (1881)।
- **महात्मा की उपाधि:** 11 मई, 1888 को महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्त्ता विट्ठलराव कृष्णजी वांडेकर द्वारा उन्हें 'महात्मा' की उपाधि से सम्मानित किया गया।
- **समाज सुधार:** वर्ष 1848 में उन्होंने अपनी पत्नी (सावित्रीबाई) को पढ़ना-लिखना सिखाया, जिसके बाद इस दंपत्ति ने पुणे में लड़कियों के लिये पहला स्वदेशी रूप से संचालित स्कूल खोला, जहाँ वे दोनों शिक्षण का कार्य करते थे।
- वह लैंगिक समानता में विश्वास रखते थे और अपनी सभी सामाजिक सुधार गतिविधियों में पत्नी को शामिल कर अपनी मान्यताओं का अनुकरण किया।

- वर्ष 1852 तक फुले ने तीन स्कूलों की स्थापना की थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद धन की कमी के कारण वर्ष 1858 तक ये स्कूल बंद हो गए थे।
- ज्योतिबा ने विधवाओं की दयनीय स्थिति को समझा तथा युवा विधवाओं के लिये एक आश्रम की स्थापना की और अंततः विधवा पुनर्विवाह के विचार के पैरोकार बन गए।
- ज्योतिराव ने ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों की रुढ़िवादी मान्यताओं का विरोध किया और उन्हें "पाखंडी" करार दिया।
- वर्ष 1868 में ज्योतिराव ने अपने घर के बाहर एक सामूहिक स्नानागार का निर्माण करने का फैसला किया, जिससे उनकी सभी मनुष्यों के प्रति अपनत्व की भावना प्रदर्शित होती है, इसके साथ ही उन्होंने सभी जातियों के सदस्यों के साथ भोजन करने की शुरुआत की।
- उन्होंने जागरूकता अभियान शुरू किया जिसने अंततः डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और महात्मा गाँधी को प्रभावित किया, जिन्होंने बाद में जातिगत भेदभाव के खिलाफ बड़ी पहल की।
- कई लोगों का मानना है कि यह फुले ही थे जिन्होंने सबसे पहले 'दलित' शब्द का इस्तेमाल उन उत्पीड़ित जनता के चित्रण के लिये किया था, जिन्हें अक्सर 'वर्ण व्यवस्था' से बाहर रखा जाता था।

सावित्रीबाई फुले:

- वर्ष 1852 में सावित्रीबाई ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये 'महिला सेवा मंडल' की शुरुआत की।
- सावित्रीबाई ने एक महिला सभा का आह्वान किया, जहाँ सभी जातियों के सदस्यों का स्वागत किया गया और सभी से एक साथ मंच पर बैठने की अपेक्षा की गई।
- उन्होंने वर्ष 1854 में 'काव्या फुले' और वर्ष 1892 में 'बावन काशी सुबोध रत्नाकर' का प्रकाशन किया।
- अपनी कविता 'गो, गेट एजुकेशन' में वह उत्पीड़ित समुदायों से शिक्षा प्राप्त करने और उत्पीड़न की जंजीरों से मुक्त होने का आग्रह करती हैं।
- उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए बाल विवाह के खिलाफ एक साथ अभियान चलाया।

- उन्होंने वर्ष 1873 में पहला सत्यशोधक विवाह शुरू किया- दहेज, ब्राह्मण पुजारी या ब्राह्मणवादी रीति-रिवाज़ के बिना विवाह।

उनकी विरासत:

- वर्ष 1848 में फुले ने पूना में लड़कियों, शूद्रों एवं अति-शूद्रों के लिये एक स्कूल शुरू किया।
- 1850 के दशक में फुले दंपत्ति ने दो शैक्षिक ट्रस्टों की शुरुआत की- नेटिव फीमेल स्कूल (पुणे) और 'द सोसाइटी फॉर प्रोमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार'- जिसके तहत कई स्कूल शामिल थे।
- वर्ष 1853 में उन्होंने गर्भवती विधवाओं के लिये सुरक्षित प्रसव हेतु और सामाजिक मानदंडों के कारण शिशुहत्या की प्रथा को समाप्त करने के लिये एक देखभाल केंद्र खोला।

- **बालहत्या प्रतिबंधक गृह** (शिशु हत्या निवारण गृह) उनके ही घर में शुरू हुआ।
- **सत्यशोधक समाज (द ट्रुथ-सीकर्स सोसाइटी)** की स्थापना 24 सितंबर, 1873 को ज्योतिराव-सावित्रीबाई और अन्य समान विचारधारा वाले लोगों द्वारा की गई थी।

- उन्होंने समाज में **सामाजिक परिवर्तनों की वकालत की तथा प्रचलित परंपराओं के खिलाफ** कदम उठाया जिनमें आर्थिक विवाह, अंतर-जातीय विवाह, बाल विवाह का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह शामिल हैं।
- साथ ही सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्न जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को शिक्षा देने तथा समाज की शोषक परंपरा से अवगत कराने के उद्देश्य से की गई थी।

कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा/या कौशल प्रणाली की ओर, वापस स्कूल लाने के लिये एक अभूतपूर्व अभियान 'कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव' (Kanya Shiksha Pravesh Utsav) का शुभारंभ किया गया है।

इस योजना के प्रमुख बिंदु:

- इस योजना का आरंभ शिक्षा मंत्रालय और यूनीसेफ की साझेदारी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है।
- यह योजना, स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को वापस 'शिक्षा प्रणाली' में लाने संबंधी 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' में निर्धारित लक्ष्य को भी पूरा करेगी।

महिला शिक्षा से संबंधित मुद्दे:

- **उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली शिक्षा में अंतराल**: हालांकि 1990 के दशक से महिला नामांकन में तेजी से वृद्धि हुई है, फिर भी महिलाओं की उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली शिक्षा में पर्याप्त अंतराल मौजूद है।
- **बीच में शिक्षा छोड़ने की उच्च दर:** महिलाओं के नामांकन की बढ़ती दर, लड़कों के सापेक्ष लड़कियों के अधिक संख्या में पढाई बीच में छोड़ने तथा कक्षा में कम उपस्थिति की वजह से अप्रभावी हो जाती है। स्कूल न जाने वाले बच्चों में लड़कियों की संख्या सर्वाधिक है।
- **अंतर-राज्यीय भिन्नताएं:** देश में विभिन्न राज्यों के बीच 'लैंगिक समानता' के संदर्भ में काफी भिन्नताएं पायी जाती हैं। हालांकि, बिहार और राजस्थान जैसे सबसे अधिक शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में महिला नामांकन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, फिर भी इन राज्यों को केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के समकक्ष आने में अभी भी एक लंबा सफर तय करना शेष है।
- **पुत्र को वरीयता**: कुछ अध्ययनों से पता चलता है- कि सरकारी स्कूलों में लड़कियों का प्रतिनिधित्व लड़कों की अपेक्षा काफी अधिक

है, जोकि पुत्र को लगातार वरीयता देने की प्रवृति को प्रदर्शित करता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार, लड़कों को (कथित) बेहतर गुणवत्ता वाले निजी और बेहतर स्कूलों में पड़ने के लिए भेजा जाता है।

भारत में महिला शिक्षा की दिशा में किए जा रहे विभिन्न सरकारी प्रयास:

- **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना:** इसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और बालिकाओं के लिए कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता में सुधार करना है। अभियान का मुख्य उद्देश्य, लगातार कम हो रहे 'बाल लिंग अनुपात' में सुधार करना था, लेकिन इसमें बालिकाओं की शिक्षा, उत्तरजीविता और सुरक्षा का प्रचार-प्रसार करना भी शामिल है।
- **डिजिटल लैंगिक मानचित्र** (Digital Gender Atlas): मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत में लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक 'डिजिटल जेंडर एटलस' तैयार किया गया है।
- **माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय योजना** (National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education – NSIGSE): इस योजना का उद्देश्य स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम करने और माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम वातावरण निर्मित करना है।
- **सर्व शिक्षा अभियान**: प्रारंभिक शिक्षा में लड़कियों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान के तहत लड़कियों के लिए विभिन्न हस्तक्षेप किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें स्कूल खोलना, अतिरिक्त महिला शिक्षकों की नियुक्ति, लड़कियों के लिए अलग शौचालय, शिक्षकों के संवेदीकरण कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इसके अलावा, शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंडों (Educationally Backward Blocks – EBBs) में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी खोले गए हैं।
- **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA):** इसमें प्रत्येक बस्ती से उचित दूरी के भीतर एक माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराके

शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने, माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, लैंगिक, सामाजिक-आर्थिक और विकलांगता जैसी बाधाओं को दूर करने की परिकल्पना की गई है।

- **उड़ान** (Udaan): सीबीएसई ने ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा की छात्राओं को तैयारी के लिए मुफ्त ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 'उड़ान' योजना का आरंभ किया है। इस योजना का विशेष ध्यान प्रतिष्ठित संस्थानों में छात्राओं के कम नामांकन अनुपात में सुधार में सुधार करना है।
- **STEM शिक्षा**: **STEM** शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आईआईटी और एनआईटी में अतिरिक्त सीटों का सृजन किया गया है।

डोनेट- ए- पेंशन पहल

- हाल ही में, श्रम मंत्रालय द्वारा एक 'पेंशन दान पहल' / 'डोनेट- ए- पेंशन' पहल (Donate a Pension initiative) का आरंभ किया गया है।

कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु:

- इस कार्यक्रम का आरंभ, 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन' (Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan : PM-SYM) के तहत लोगों को उनके सहायक कर्मचारियों के 'पेंशन फंड' में योगदान करने हेतु किया गया है।
- इसके तहत भारत के नागरिक अपने घर या प्रतिष्ठान में अपने तत्काल सहायक कर्मचारियों जैसे घरेलू कामगारों ड्राइवरों, हेल्परों, देखरेख करने वालों, नर्सों के लिए प्रमुखता से योगदान कर सकते हैं।

'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना' के बारे में:

- 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना' (PM-SYM) एक 50:50 के अनुपात आधार पर एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें लाभार्थी एक निर्धारित आयु-विशिष्ट योगदान देता है और केंद्र सरकार उसके अनुरूप राशि लाभार्थी के खाते में जमा करती है।
- **कार्यान्वयन:** इस योजना की निगरानी एवं देख-रेख 'श्रम एवं रोजगार मंत्रालय' द्वारा की जाएगी और इसे भारतीय जीवन बीमा निगम और 'जन सेवा केंद्र ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड' (CSC eGovernance Services India Limited – CSC SPV) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
- **पात्रता**: इस योजना के तहत, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के श्रमिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं और अपनी उम्र के आधार पर हर साल न्यूनतम 660 से 2400 रुपये जमा कर सकते हैं।
- लाभार्थी व्यक्ति को 'नई पेंशन योजना' (New Pension Scheme – NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees' State Insurance Corporation – ESIC) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation – EPFO) के लाभ के अंतर्गत कवर न किया गया हो, तथा उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिये।
- **लाभ**: 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को प्रति माह 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी।

लाभार्थी:

- असंगठित कामगार, घर से काम करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक, ईंट-भट्टा मज़दूर, चर्मकार, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मज़दूर, खेतिहर मज़दूर, निर्माण मज़दूर, बीड़ी मज़दूर, हथकरघा मज़दूर, चमड़ा मज़दूर, ऑडियो-वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह के अन्य व्यवसायों में काम करने वाले ऐसे श्रमिक होंगे जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम है।

राष्ट्रीय जलमार्ग

- हाल ही में, पहली बार राष्ट्रीय जलमार्ग के माध्यम से, पटना से खाद्यान्नों को बांग्लादेश होते हुए गुवाहाटी के 'पांडु' तक भेजा गया। इसके लिए ब्रह्मपुत्र (NW2) को 'इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल' (Indo Bangladesh Protocol – IBP) मार्ग के माध्यम से गंगा (राष्ट्रीय जलमार्ग -1) से जोड़ा गया है, और इस तरह से असम में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए नए युग की शुरुआत हुई है।
- एमवी लाल बहादुर शास्त्री जल पोत ने 'भारतीय खाद्य निगम' (FCI) के लिए 200 मीट्रिक टन खाद्यान्न लेकर पटना से गुवाहाटी तक की पहली प्रायोगिक यात्रा पूरी की।
- इस जल पोत द्वारा, राष्ट्रीय जलमार्ग -1 (गंगा नदी) के भागलपुर, मनिहारी, साहिबगंज, फरक्का, ट्रिबेनी, कोलकाता, हल्दिया, हेमनगर से होते हुए यात्रा करेगा। इससे आगे यह इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) के खुलना, नारायणगंज, सिराजगंज, चिलमारी और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या -2 के धुबरी व जोगीघोपा होते हुए 2,350 किलोमीटर की दूरी तय की गयी।

भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग:

- देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत 111 'अंतर्देशीय जलमार्ग' को 'राष्ट्रीय जलमार्ग' घोषित किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा, अंतर्देशीय जल परिवहन को देश में रेल और सड़क परिवहन के एक किफायती, पर्यावरण के अनुकूल पूरक साधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।

क्या आप जानते हैं, कि:

- संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'संघ सूची' की प्रविष्टि 24 के तहत केंद्र सरकार को, संसद द्वारा कानून के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में वर्गीकृत किए गए अंतर्देशीय जलमार्गों पर नौवहन और नौपरिवहन संबंधी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।

भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जलमार्ग:

राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (National Waterway 1):

- इलाहाबाद से हल्दिया तक (1620 किमी की दूरी)।
- राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (NW1), गंगा, भागीरथी और हुगली नदी प्रणाली से होकर गुजरता है। और इस मार्ग पर हल्दिया, फरक्का और पटना में 'स्थायी टर्मिनल' (fixed terminals) बने हुए हैं।
- इस जल मार्ग पर कोलकाता, भागलपुर, वाराणसी और इलाहाबाद जैसे नदी-तटवर्ती शहरों में 'फ्लोटिंग टर्मिनल' (Floating terminals) बने हुए हैं।
- यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है।

राष्ट्रीय जलमार्ग 2 (National Waterway 2):

- असम राज्य में 'सादिया से धुबरी तक' ब्रह्मपुत्र नदी के जल मार्ग को 'राष्ट्रीय जलमार्ग 2' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- NW2 देश का तीसरा सबसे लंबा जलमार्ग है, इसकी कुल लंबाई 891 किमी है।

राष्ट्रीय जलमार्ग 3 (National Waterway 3):

- केरल राज्य में 'कोल्लम से कोट्टापुरम तक' बहने वाली 'वेस्ट कोस्ट कैनाल' को **NW3** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 205 किमी लंबी 'वेस्ट कोस्ट कैनाल', सर्वकालिक नौपरिवहन सुविधा वाला भारत का पहला जलमार्ग है।
- राष्ट्रीय जलमार्ग 3 (NW3), 'वेस्ट कोस्ट कैनाल', चंपाकारा नहर और उद्योगमंडल नहर से मिलकर बना है।
- यह जलमार्ग कोट्टप्पुरम, चेरथला, थ्रीकुन्नपुझा, कोल्लम और अलाप्पुझा से होकर गुजरता है।

राष्ट्रीय जलमार्ग 4 (National Waterway 4):

- राष्ट्रीय जलमार्ग 4 (NW4) काकीनाडा को पांडिचेरी से जोड़ता है।

- यह भारत का दूसरा सबसे लंबा जलमार्ग है।
- आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरने वाले इस जलमार्ग की कुल लंबाई 1095 किमी है।

राष्ट्रीय जलमार्ग 5(National Waterway 5):

- राष्ट्रीय जलमार्ग 5 (NW5) ओडिशा को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है।
- यह ब्राह्मणी नदी, पूर्वी तट नहर, मताई नदी और महानदी नदी की जलधाराओं से होकर गुजरता है।
- 623 किमी लंबी यह नहर प्रणाली, कोयला, उर्वरक, सीमेंट और लोहे जैसे कार्गो के यातायात को संभालती है।

राष्ट्रीय जलमार्ग 6 (National Waterway 6):

- राष्ट्रीय जलमार्ग 6 (NW6) असम में प्रस्तावित एक जलमार्ग है।
- यह बराक नदी के माध्यम से लखीपुर को भांगा से जोड़ेगा।
- 121 किलोमीटर लंबे जलमार्ग से सिलचर (असम) से मिजोरम के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना

- हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के लिये स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (Swatantrata Sainik Samman Yojana- SSSY) और इसके घटकों को आगे जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है जिसके लिये कुल वित्तीय परिव्यय 3,274.87 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

पृष्ठभूमि:

- भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिये वर्ष 1969 में 'अंडमान के पूर्व राजनीतिक कैदियों के लिये पेंशन योजना' ('Ex-Andaman Political Prisoners Pension Scheme) शुरू की गई थी।
- वर्ष 1972 में स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांँठ के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने की एक नियमित योजना शुरू की गई थी।
- 1980 के बाद से एक उदार योजना अर्थात् 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980' (**Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme,** 1980') को लागू किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 से योजना का नाम बदलकर 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना' कर दिया गया है।
- पेंशन की राशि में समय-समय पर संशोधन किया जाता रहा है और वर्ष 2016 से महंगाई राहत (Dearness Relief) भी प्रदान की जा रही है।

योजना के बारे में:

- यह योजना राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के सम्मान के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों को मासिक सम्मान पेंशन प्रदान करती है।
- उनकी मृत्यु पर पात्र **आश्रितों अर्थात् पति या पत्नी तथा अविवाहित एवं बेरोज़गार बेटियों और आश्रित माता-पिता** को निर्धारित पात्रता मानदंडों एवं प्रक्रिया के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है।
- इसे **गृह मंत्रालय (स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग)** द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- इस योजना के तहत **देश भर में 23,566 लाभार्थी** शामिल हैं।

पाल-दढवाव नरसंहार: गुजरात

- 7 मार्च को गुजरात में हुए 'पाल-दढवाव नरसंहार' (Pal-Dadhvav massacre) को 100 साल पूरे हो गए। गुजरात सरकार ने इसे "जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा नरसंहार" बताया है।

पाल-दढवाव हत्याकांड के बारे में:

- यह हत्याकांड 7 मार्च, 1922 को, साबरकांठा जिले के पाल, चितरिया और दढवाव गाँवों में हुआ था, उस समय ये गाँव 'इडर रियासत' (Idar State) (वर्तमान गुजरात) का हिस्सा थे।
- मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 'एकी आंदोलन' के हिस्से के रूप में पाल, दढवाव और चितरिया के ग्रामीण 'वारिस नदी' के तट पर एकत्र हुए थे।
- यह आंदोलन अंग्रेजों और सामंतों द्वारा किसानों पर लगाए गए भू-राजस्व कर (लगान) के विरोध में किया जा रहा था।
- ब्रिटिश अर्धसैनिक बल काफी समय से 'तेजावत' की तलाश में थे। इस सभा के बारे में पता चलने पर ये बल तत्काल मौके पर पहुंच गए।
- तेजावत के नेतृत्व में लगभग 2000 भीलों ने अपने धनुष-बाण उठा लिए और लगान नहीं चुकाने का नारा लगाने लगे। इस पर अंग्रेजो के कमांडर एच जी सट्टन (HG Sutton) ने ग्रामीणों पर गोलियां चलने का आदेश दे दिया, और इस अंधाधुंध गोलाबारी में लगभग 1,000 आदिवासी (भील) मारे गए।
- हालांकि मोतीलाल तेजावत इस गोलीबारी में बच गए, और बाद में उन्होंने लौटकर इस जगह को 'वीरभूमि' का नाम दिया।

विरासत:

- इस नरसंहार की शताब्दी पर गुजरात सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति ने इस घटना को "1919 के जलियावाला बाग हत्याकांड से भी अधिक क्रूर" बताया गया है।

खाद्य तेल: भारत

- सरकार द्वारा उठाए गए सख्त कदमों की वजह से, कोविड की स्थिति के बावजूद, पिछले दो साल से खाद्य तेल की कीमतें नियंत्रण में रही है।
- हालांकि, यूक्रेन में जारी युद्ध की वजह से, खाद्य तेलों सहित कई वस्तुओं की कीमतों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है।

संबंधित प्रकरण:

- भारत में सूरजमुखी के तेल का घरेलू उत्पादन मांग के एक चौथाई से भी कम है, और इसकी अधिकांश आपूर्ति यूक्रेन से होती है। यूक्रेन के युद्ध प्रभावित होने की वजह से, यह पूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है।
- सूरजमुखी तेल की आपूर्ति कम होने के कारण, उपभोक्ता मूंगफली और ताड़ के तेल की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे इनकी कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं।

खाद्य तेल की कीमतों में हालिया वृद्धि:

- पिछले साल, छह खाद्य तेलों- मूंगफली, सरसों, वनस्पति, सोया, सूरजमुखी और ताड़ / पाम तेल की खुदरा कीमतों में 48 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई थी। इसके निम्नलखित कारण थे:
- वैश्विक कीमतों में उछाल, और सोयाबीन का कम घरेलू उत्पादन। सोयाबीन, भारत की सबसे बड़ी तिलहन फसल है।
- चीन द्वारा खाद्य तेल की अत्यधिक खरीद।
- कई प्रमुख तेल उत्पादकों द्वारा आक्रामक रूप से जैव ईंधन नीतियों का अनुसरण किया जा रहा है, और इसके लिए खाद्य तेल फसलों का उपयोग 'जैव ईंधन' उत्पादन हेतु किया जा रहा है।
- भारत में खाद्य तेलों के खुदरा मूल्य में सरकारी करों और शुल्कों का भी एक बड़ा हिस्सा रहता है।

खाद्य तेल के आयात पर भारत की निर्भरता:

- भारत, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयातक देश है।
- भारत अपनी खाद्य तेल जरूरतों का लगभग 60% आयात करता है, जिससे देश में खाद्य तेल की खुदरा कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं।
- देश में, मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल, ब्राजील और अर्जेंटीना से सोया तेल और रूस और यूक्रेन से सूरजमुखी तेल का आयात किया जाता है।

खाद्य तेलों के बारे में प्रमुख तथ्य:

- खाद्य तेल के प्राथमिक स्रोत, सोयाबीन, सफ़ेद सरसों (रेपसीड) और सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर होते हैं। खाद्य तेल के द्वितीयक स्रोत, 'ताड़ का तेल', नारियल, चावल की भूसी, कपास के बीज और वृक्ष-उत्पादित तिलहन (Tree Borne Oilseeds) होते हैं।

भारत में तिलहन उत्पादन में प्रमुख चुनौतियाँ:

- तिलहन का उत्पादन, मुख्य रूप से 'वर्षा आधारित' क्षेत्रों (लगभग 70% क्षेत्र) में किया जाता है,
- बीजों की काफी अधिक कीमत (मूंगफली और सोयाबीन),
- सीमित संसाधनों के साथ छोटी जोतें,
- कम बीज प्रतिस्थापन दर और कम उत्पादकता।

मिशन इंद्रधनुष

- सफल COVID-19 टीकाकरण के अलावा, ओडिशा में 90.5% कवरेज के साथ देश में पूर्ण टीकाकरण का उच्चतम कवरेज है।

मुख्य बिंदु

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) -5 के अनुसार, 90.5% कवरेज के साथ, ओडिशा पूर्ण टीकाकरण कवरेज में राष्ट्रीय स्तर पर सूची में सबसे ऊपर है।
- 7 मार्च को राज्य भर में शुरू किए गए सघन मिशन इंद्रधनुष (IMI) 4.0 पर समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.के. शर्मा ने इसका उल्लेख किया ।
- ओडिशा के बीस जिले पूर्ण टीकाकरण में 90 प्रतिशत से ऊपर थे, जबकि शेष 10 जिले 90 प्रतिशत से कम थे।

पूर्ण टीकाकरण में क्या शामिल है?

- पूर्ण टीकाकरण में 12 विभिन्न प्रकार की बीमारियों के खिलाफ निवारक खुराक शामिल हैं। इस बीमारी में तपेदिक, पोलियो, डिप्थीरिया, पीलिया, टिटनेस, काली खांसी, दिमागी बुखार, HIV, खसरा, निमोनिया, दस्त, रूबेला, जापानी बुखार और अन्य शामिल हैं।

टीकाकरण अभियान

- IMI के तहत टीकाकरण अभियान तीन दौर में चलाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक दौर में विभिन्न टीकों की अलग-अलग खुराक दी जाएगी। असंबद्ध या आंशिक रूप से टीकाकृत गर्भवती महिलाओं के साथ-साथ दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पहले टारगेट किया जाएगा।
- टीकाकरण तीन राउंड में होगा, पहला 7 मार्च से शुरू होगा, दूसरा 4 अप्रैल से और तीसरा इस साल 2 मई से शुरू होगा, जिसमें प्रत्येक राउंड सात दिनों तक चलेगा।

मिशन इन्द्रधनुष (Mission Indradhanush)

- भारत सरकार का मिशन इंद्रधनुष एक स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसे पहली बार 25 दिसंबर, 2014 को लॉन्च किया गया था। यह योजना भारत में

90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल करने और वर्ष 2022 तक इसे बनाए रखने का प्रयास करती है।

- काली खांसी, डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनस, बचपन के तपेदिक के गंभीर रूप, खसरा, और हेपेटाइटिस बी और हेमोफिलस इन्फ्लूएंजा टाइप बी के कारण होने वाले निमोनिया और मेनिन्जाइटिस के खिलाफ टीकाकरण प्रदान किया जा रहा है और साथ ही चयनित राज्यों और जिलों में जापानी एन्सेफलाइटिस और रोटावायरस डायरिया के खिलाफ भी टीकाकरण किया जा रहा है।

सघन मिशन इंद्रधनुष (Intensified Mission Indradhanush)

- टीकाकरण कार्यक्रम को और तेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2017 में गहन मिशन इंद्रधनुष (Intensified Mission Indradhanush – IMI) लांच किया था। सरकार दो साल से कम उम्र के हर बच्चे के साथ-साथ नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से छूटी हुई सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचने की उम्मीद करती है।
- इस विशेष अभियान का लक्ष्य 2020 के बजाय दिसंबर 2018 तक 90 प्रतिशत कवरेज तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ कुछ जिलों और शहरों में टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देना था।

गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0

- सभी उपलब्ध टीकों के साथ पहुंच से बाहर तक पहुंचने और 2019 दिसंबर से 2020 मार्च तक निर्दिष्ट ब्लॉकों के साथ-साथ जिलों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के कवरेज में तेजी लाने के लिए गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0 दिसंबर, 2019 में शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य यह भी है कि 2030 तक बच्चों की परिहार्य मृत्यु को कम करने के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा।

सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0

- COVID-19 महामारी के कारण नियमित टीकाकरण से छूटने वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करने के लिए गहन मिशन इंद्रधनुष (IMI) 3.0 योजना लागू की गई थी।

सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0

- गहन मिशन इंद्रधनुष (IMI) 4.0 हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
- यह सुनिश्चित करेगा कि गैर-टीकाकरण वाले और आंशिक रूप से टीकाकरण वाले बच्चों के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण सेवाएं प्राप्त हों। इस अभियान के तहत दो साल तक के बच्चों को कवर किया जाएगा।

परम गंगा सुपरकंप्यूटर

- आईआईटी रुड़की में राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन **(NSM)** के तहत 1.66 पेटाफ्लॉप्स की सुपरकंप्यूटिंग क्षमता के साथ परम गंगा नामक एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटेशनल (HPC) सुविधा प्रदान की गई है।
- इससे पहले भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बंगलूरू ने सुपर कंप्यूटर 'परम प्रवेग' स्थापित किया था।

प्रमुख बिंदु

- यह NSM के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्प्यूटिंग (सी-डैक) द्वारा स्थापित किया गया है।
- भारत में निर्मित घटकों के साथ एक पेटास्केल सुपरकंप्यूटर बनाने के पीछे मूल विचार आत्मनिर्भर भारत की ओर मार्ग का नेतृत्व करना और बहु-विषयक डोमेन में समस्या-समाधान क्षमता को एक साथ तेज़ करना है।

- यह शोधकर्त्ताओं को राष्ट्रीय और वैश्विक महत्त्व की जटिल समस्याओं को हल करने में मदद करेगा।
- यह सैद्धांतिक और प्रायोगिक कार्य के साथ-साथ आधुनिक शोध के लिये एक आवश्यक कंप्यूटर के रूप में कार्य करेगा।
- आईआईटी रुड़की और अन्य नज़दीकी शैक्षणिक संस्थानों के उपयोगकर्त्ता समुदाय को कंप्यूटेशनल शक्ति प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सुपरकंप्यूटर:

- सुपरकंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो वर्तमान में कंप्यूटर की उच्चतम परिचालन दर पर या उसके निकट प्रदर्शन करता है।
- आमतौर पर पेटाफ्लॉप एक सुपरकंप्यूटर की प्रसंस्करण गति का माप है और इसे प्रति सेकंड एक हज़ार ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
- FLOPS (फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड) का उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर के प्रोसेसर के प्रदर्शन को मापने के लिये किया जाता है।
- फ्लोटिंग-पॉइंट एन्कोडिंग का उपयोग करके बहुत लंबी संख्याओं को अपेक्षाकृत आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।
- सुपरकंप्यूटर मुख्य रूप से उन उद्यमों और संगठनों में उपयोग करने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है।
- **उदाहरण के लिये:** मौसम का पूर्वानुमान, वैज्ञानिक अनुसंधान, खुफिया जानकारी एकत्र करना और विश्लेषण, डेटा माइनिंग आदि।
- विश्व स्तर पर चीन के पास सबसे अधिक सुपरकंप्यूटर हैं और दुनिया में शीर्ष स्थान पर कायम है, इसके बाद अमेरिका, जापान, फ्राँस, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम का स्थान है।
- भारत का पहला **सुपरकंप्यूटर परम 8000** था।
- स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया पहला सुपरकंप्यूटर **परम शिवाय** IIT- BHU में स्थापित किया गया है, इसके बाद IIT-खड़गपुर, IISER, पुणे, JNCASR, बंगलूरू और IIT कानपुर में क्रमशः **परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम संगणक** को स्थापित किया गया है।

- वर्ष 2020 में **हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (HPC-AI) सुपरकंप्यूटर परम सिद्धि** ने दुनिया के शीर्ष **500 सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर सिस्टम** में **62वें स्थान पर वैश्विक रैंकिंग** हासिल की है।

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन:

- वर्ष 2015 में राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (National Supercomputing Mission) को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN) के साथ जोड़कर देश में अनुसंधान क्षमता और दक्षता को बढ़ाने के लिये लॉन्च किया गया।
- एनकेएन परियोजना का उद्देश्य एक **मज़बूत और ठोस भारतीय नेटवर्क स्थापित** करना है जो सुरक्षित व विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम होगी।
- मिशन की 64 से अधिक पेटाफ्लॉप्स (Petaflops) की संचयी परिकलन क्षमता के साथ 24 सुविधाओं (24 Facilities) का निर्माण और उनकी तैनाती करने की योजना है।.
- अभी तक सी-डैक ने एनएसएम चरण-1 और चरण-2 के तहत 20 से अधिक पेटाफ्लॉप्स की संचयी परिकलन क्षमता के साथ सी-डैक में 11 प्रणालियां तैनात कर दी गई हैं।
- यह सरकार के डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया पहल पर केंद्रित है।
- मिशन को संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक), पुणे और आईआईएससी, बंगलूरू द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

मिशन को तीन चरणों में क्रियान्वयित करने की योजना है जो निम्नलिखित है:

- चरण I. सुपर कंप्यूटरों को असेंबल करना।
- चरण II. देश के भीतर कुछ घटकों के निर्माण पर विचार करना।
- चरण III. इस चरण में सुपर कंप्यूटर को भारत में ही डिज़ाइन किया जाना शामिल है।

- एक पायलट सिस्टम में 'रुद्र' (Rudra) नामक एक स्वदेशी रूप से विकसित सर्वर प्लेटफॉर्म का परीक्षण किया जा रहा है जिसमें इंटर-नोड संचार हेतु त्रिनेत्र (Trinetra) नामक एक इंटरकनेक्ट भी विकसित किया गया है।

UPI123Pay

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल भुगतान करने हेतु गैर इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं के फोन के लिये नई UPI सेवाएँ **UPI123Pay** शुरू की हैं, साथ ही डिजिटल भुगतान के लिये 24x7 हेल्पलाइन की भी शुरुआत की गई है, जिसे 'डिजीसाथी' कहा गया।
- डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं से संबंधित जानकारी पर उपयोगकर्त्ताओं को स्वचालित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा **'डिजीसाथी'** की स्थापना की गई है। वर्तमान में यह अंग्रज़ी और हिंदी भाषा में उपलब्ध है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)

- यह तत्काल भुगतान सेवा (**Immediate Payment Service- IMPS**) जो कि कैशलेस भुगतान को तीव्र और आसान बनाने के लिये चौबीस घंटे धन हस्तांतरण सेवा है, का एक उन्नत संस्करण है।
- UPI एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन (किसी भी भाग लेने वाले बैंक) द्वारा कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान की शक्ति प्रदान करती है।
- वर्तमान में UPI नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH), तत्काल भुगतान सेवा (IMPS), आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS), भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS), RuPay आदि सहित भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा संचालित प्रणालियों में सबसे बड़ा है।

- वर्तमान के शीर्ष UPI एप्स में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेज़न पे और भीम एप शामिल हैं।

'UPI123Pay' क्या है?

- यह उन साधारण फोन पर काम करेगा, जिनमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है।
- अभी तक UPI फीचर ज़्यादातर स्मार्टफोन पर ही उपलब्ध हैं।
- फीचर फोन के लिये UPI सेवा खुदरा भुगतान पर आरबीआई के नियामक सैंडबॉक्स का लाभ उठाएगी।
- एक नियामक सैंडबॉक्स आमतौर पर नियंत्रित/परीक्षण नियामक वातावरण में नए उत्पादों या सेवाओं के लाइव परीक्षण को संदर्भित करता है जिसके लिये नियामक परीक्षण के सीमित उद्देश्य हेतु कुछ नियामक छूट की अनुमति दी जा सकती है।
- UPI सेवा UPI अनुप्रयोगों में 'ऑन-डिवाइस' वॉलेट तंत्र के माध्यम से डिजिटल लेन-देन को सक्षम करेगी।
- उपयोगकर्त्ता चार प्रौद्योगिकी विकल्पों के आधार पर कई लेन-देन करने में सक्षम होंगे, जिनमें- आईवीआर (इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस) नंबर, मिस्ड कॉल-आधारित दृष्टिकोण, फीचर फोन में एप की कार्यक्षमता और 'नियर वॉइस' आधारित भुगतान शामिल हैं।

लाभ:

- फीचर फोन हेतु नई सेवा व्यक्तियों को स्मार्टफोन और इंटरनेट के बिना दूसरों को सीधे भुगतान करने में सक्षम होगी।
- उपयोगकर्त्ताओं द्वारा मित्रों और परिवार को भुगतान किया जा सकता हैं, साथ ही इससे उपयोगिता बिलों का भुगतान कर सकते हैं, अपने वाहनों के फास्ट टैग को रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल बिलों का भुगतान कर सकते हैं तथा उपयोगकर्त्ता अपने खाते की शेष राशि को भी चेक कर सकते हैं।
- यह ग्राहकों को स्कैन और भुगतान को छोड़कर लगभग सभी लेन-देन हेतु फीचर फोन का उपयोग करने की अनुमति देगा।
- UPI123Pay अनुमानित 40 करोड़ फीचर फोन उपयोगकर्त्ताओं को लाभान्वित करेगा और उन्हें सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। यह स्मार्टफोन का उपयोग न करने वाले

उपयोगकर्त्ताओं को डिजिटल भुगतान प्रणाली से जोड़ने में मददगार साबित होगा।

हेग कन्वेंशन 1954: ब्लू शील्ड

- हाल ही में 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन' (यूनेस्को) ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के आलोक में यूक्रेन की लुप्तप्राय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने हेतु सुरक्षात्मक उपायों पर ज़ोर दिया है।
- आकस्मिक क्षति से बचने के लिये एजेंसी, यूक्रेन में सांस्कृतिक स्थलों और स्मारकों जैसी सांस्कृतिक संपत्ति को सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में संरक्षण हेतु वर्ष 1954 के हेग कन्वेंशन के विशिष्ट 'ब्लू शील्ड' प्रतीक के साथ चिह्नित कर रही है।

वर्ष 1954 का हेग कन्वेंशन

- **पृष्ठभूमि:** इतिहास के संदर्भ में देखें तो सशस्त्र संघर्षों ने सदैव लोगों के जीवन पर कहर ढाया है। मानवीय क्षति के अलावा सशस्त्र संघर्षों ने सांस्कृतिक विरासत के बड़े पैमाने पर विनाश, समुदायों की नींव को कमज़ोर करने के साथ ही स्थायी शांति एवं सुलह की संभावनाओं को भी जन्म दिया।
- **उत्पत्ति:** यह देखते हुए कि सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण दुनिया के सभी लोगों के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है इसने सार्वभौमिक संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है, सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिये कन्वेंशन को वर्ष 1954 में यूनेस्को के तत्त्वावधान में अपनाया गया था।

- इस कन्वेंशन को वर्ष 1954 के हेग कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है।
- यह ऐसी पहली और सबसे व्यापक बहुपक्षीय संधि है, जो विशेष रूप से शांति के समय के साथ-साथ सशस्त्र संघर्ष के दौरान सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु समर्पित है।
- **उद्देश्य:** सम्मेलन का उद्देश्य सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा करना है जिसमें वास्तुकला, कला या ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्विक स्थल, कला संबंधित कार्य, पांडुलिपियां, किताबें व कलात्मक, ऐतिहासिक या पुरातात्विक रुचि की अन्य वस्तुएं, साथ ही किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक संग्रह हो सकते हैं, चाहे उनका मूल या स्वामित्व कुछ भी हो।
- भारत हेग कन्वेंशन,1954 का पक्षकार देश है।

ब्लू शील्ड प्रतीक/चिह्न (Blue Shield Emblem):

- **आवश्यकता:** हेग कन्वेंशन, 1954 के अनुच्छेद 6 के अनुसार, सांस्कृतिक संपत्ति में एक विशिष्ट प्रतीक हो सकता है ताकि इसकी मान्यता को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- **उत्पत्ति:** ब्लू शील्ड को पूर्व में ब्लू शील्ड की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा 1996 में स्थापित किया गया।
- **ब्लू शील्ड के बारे में:** यह एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में विरासतों के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है।
- ब्लू शील्ड नेटवर्क (Blue Shield Network) को अक्सर रेड क्रॉस के सांस्कृतिक समकक्ष के रूप में जाना जाता है।
- **कार्य:** ब्लू शील्ड दुनिया भर में समर्पित व्यक्तियों की समितियों का एक नेटवर्क है जो विश्व की सांस्कृतिक विरासत को सशस्त्र संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं जैसे खतरों से बचाने के लिये प्रतिबद्ध है।
- इसमें संग्रहालय, स्मारक, पुरातात्विक स्थल, अभिलेखागार, पुस्तकालय, दृश्य-श्रव्य सामग्री और महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्रों के साथ-साथ अमूर्त विरासत शामिल हैं।
- **संबंधित मुद्दा**: कुछ राज्यों द्वारा अपनी सांस्कृतिक संपत्तियों को यह तर्क प्रस्तुत करते हुए चिह्नित करने से इनकार किया गया है कि यदि उस संपत्ति को राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में चिह्नित किया जाता है तो वह दुश्मन के हमलों के प्रति अधिक सुभेद्य होगी।

- दुर्भाग्य से पूर्व यूगोस्लाविया में युद्ध के दौरान यह बात साबित हो चुकी है जहाँ ब्लू शील्ड के रूप में चिह्नित सांस्कृतिक संपत्ति को जान-बूझकर लक्ष्य किया गया था।

यूनेस्को (UNESCO):

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है।
- इसकी **स्थापना वर्ष 1945** में हुई थी तथा इसका **मुख्यालय पेरिस, फ्राँस** में है।
- इसमें 193 सदस्य देश और 11 सहयोगी सदस्य हैं। भारत वर्ष 1946 में यूनेस्को में शामिल हुआ।
- वर्ष 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़रायल ने औपचारिक रूप से यूनेस्को को छोड़ दिया।

'राष्ट्रीय राजनीतिक दल' के लिए पात्रता

- आम आदमी पार्टी (AAP) हाल ही में हुए चुनावों में भाजपा के अलावा एकमात्र बड़ी विजेता बन कर उभरी है। रुझानों के अनुसार, पार्टी 91 सीटों पर बढ़त के साथ पंजाब में सरकार बनाने, और 6% का वोट शेयर सहित गोवा में दो सीटों के साथ अपना खाता खोलने के लिए तैयार है।

क्या 'आम आदमी पार्टी' राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा कर सकती है?

- अभी नहीं।

- किसी पार्टी को 'राष्ट्रीय पार्टी' (National Party) के रूप में पहचाने जाने के लिए तीन निर्धारित मानदंडों में से एक को पूरा करने की आवश्यकता होती है – और अभी AAP उनमें से किसी को भी पूरा नहीं करती है।

राजनीतिक दलों का पंजीकरण:

- राजनीतिक दलों का पंजीकरण (Registration of Political Parties) 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम' (Representation of the People Act), 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।
- किसी राजनीतिक दल को पंजीकरण कराने हेतु अपनी स्थापना 30 दिनों के भीतर संबंधित धारा के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग के समक्ष, निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करना होता है। इसके लिए भारत के **संविधान के अनुच्छेद 324 और 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम', 1951 की धारा 29A** द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग दिशा-निर्देश जारी करता है।

भारत के 'राष्ट्रीय राजनीतिक दल' के लिए पात्रता:

- राजनीतिक दल द्वारा, लोकसभा चुनावों में **कुल लोकसभा सीटों की 2 प्रतिशत (543 सदस्य की वर्तमान संख्या में से 11 सदस्य) सीटों पर जीत हा**सिल की गयी हो तथा ये सदस्य कम-से-कम **तीन अलग-अलग राज्यों से चुने गए** हों।
- चार अथवा अधिक राज्यों में होने वाले आम चुनावों अथवा विधानसभा चुनावों में होने वाले कुल मतदान के **न्यूनतम छह प्रतिशत वैध मतों को हासिल करना** अनिवार्य होता है।
- चार या अधिक राज्यों में 'राज्य पार्टी' के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा, इसके लिए किसी भी राज्य अथवा राज्यों से लोकसभा में **न्यूनतम चार सीटों पर विजय** हासिल करनी चाहिए।

'राज्य स्तरीय राजनीतिक दल' के लिए पात्रता:

- किसी राजनीतिक दल को 'राज्य स्तरीय राजनीतिक दल' के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु, राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में होने वाले मतदान के **कुल वैध मतों का न्यूनतम छह प्रतिशत हासिल** करना अनिवार्य है।
- इसके अलावा, इसके लिए संबंधित राज्य की विधान सभा में **कम से कम दो सीटों पर जीत** हासिल होनी चाहिए।
- राजनीतिक दल के लिए, राज्य की विधानसभा के लिये होने वाले चुनावों में **कुल सीटों का 3 प्रतिशत अथवा 3 सीटें, जो भी अधिक हो**, हासिल होनी चाहिए। या
- राजनीतिक दल द्वारा राज्य विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के दौरान, प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों से एक सांसद या राज्य में कुल मतों का आठ प्रतिशत हासिल किए गए हों।

लाभ:

- **'राज्य स्तरीय राजनीतिक दल'** के रूप में मान्यता प्राप्त किसी पंजीकृत दल को, संबंधित राज्य में अपने उम्मीदवारों को दल के लिये सुरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है।
- **'राष्ट्रीय राजनीतिक दल'** के रूप में मान्यता प्राप्त किसी पंजीकृत दल को पूरे भारत में अपने उम्मीदवारों को दल के लिये सुरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है।
- मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को नामांकन-पत्र दाखिल करते वक्त **सिर्फ एक ही प्रस्तावक की ज़रूरत** होती है। साथ ही, उन्हें मतदाता सूचियों में संशोधन के समय मतदाता सूचियों के दो सेट नि:शुल्क पाने का अधिकार भी होता है तथा आम चुनाव के दौरान इनके उम्मीदवारों के लिए मतदाता सूची का एक सेट नि:शुल्क प्रदान की जाती है।
- इनके लिए, आम चुनाव के दौरान उन्हें आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण की सुविधा प्रदान की जाती है।
- मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए आम चुनाव के दौरान **स्टार प्रचारकों (Star Campaigner) की यात्रा का खर्च उस उम्मीदवार या दल के खर्च में नहीं जोड़ा** जाता है।

अमेज़न वर्षावन

- हाल ही में नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में अमेज़न वर्षावन पर एक अध्ययन प्रकाशित किया गया।

मुख्य बिंदु

- 30 वर्षों के उपग्रह डेटा और सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने पाया कि अमेज़ॅन वर्षावन का लगभग 75% हिस्सा विनाश की की ओर बढ़ रहा है।
- अमेज़ॅन वर्षावन लंबे समय तक सूखे या जंगल की आग जैसी चरम घटनाओं से रिकवर करने की क्षमता खो रहा है। इस प्रकार, ऐसी सम्भावना भी है कि अमेज़ॅन वर्षावन शुष्क सवाना जैसे पारिस्थितिकी तंत्र में बदल सकता है।
- इस परिवर्तन का अमेज़न वन की अद्वितीय जैव विविधता और कार्बन सिंक के रूप में इसकी क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन में भी योगदान देगा।

अमेज़न वर्षावन (Amazon rainforest)

- अमेज़न वर्षावन दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में एक बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है।
- दुनिया की लगभग 30% प्रजातियाँ अमेज़न वर्षावन में पाई जाती हैं, इनमें 40,000 पौधों की प्रजातियाँ, 16,000 पेड़ की प्रजातियाँ, 1,300 पक्षी और स्तनधारियों की 430 से अधिक प्रजातियाँ शामिल हैं।

अमेज़न वर्षावन के लिए खतरा

- वनों की कटाई सबसे बड़ा खतरा है। कृषि, सड़क निर्माण, खनन, जल विद्युत परियोजना, लकड़ी निकालने आदि के लिए वर्षावनों को नष्ट किया जा रहा है।

विनाश का प्रभाव

- अमेज़न वर्षावन के विनाश का दक्षिण अमेरिका में वर्षा की मात्रा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
- यह वर्षावन कार्बन सिंक की बजाय कार्बन स्रोत बन सकता है। इसका मतलब है कि कार्बन का भंडारण करने के बजाय, वन जितना कार्बन अवशोषित करते हैं, उससे अधिक कार्बन छोड़ सकते हैं। इसी तरह के अवलोकन IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) द्वारा अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट में किए गए हैं।
- अमेज़न वर्षावन की रक्षा के लिए वनों की कटाई को कम करना और कार्बन उत्सर्जन को सीमित करना आवश्यक है।

ब्रह्मोस (Brahmos)

- 11 मार्च, 2022 को पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि भारतीय क्षेत्र से एक सुपरसोनिक अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पाकिस्तान में गिरा है।
- पाकिस्तानी सेना की एजेंसी DGISPR (Director General of Inter Services Public Relations) के मुताबिक यह सुपरसोनिक अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट 9 मार्च, 2022 को पाकिस्तान के मियां चन्नू इलाके में गिरा था।

मुख्य बिंदु

- पाकिस्तानी सेना के मुताबिक यह सुपरसोनिक अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भारत में हरियाणा के सिरसा से लांच किया गया था, और यह पाकिस्तान की सीमा के भीतर 124 किलोमीटर अन्दर आकर गिरा।
- गौरतलब है कि पाकिस्तान सेना का दावा है कि उसने इस पूरे घटनाक्रम को मॉनिटर किया, परन्तु इसे एयर डिफेन्स सिस्टम द्वारा इंटरसेप्ट नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि इसमें कोई विस्फोटक/वॉरहेड नहीं था।
- पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों द्वारा दावा किया जा रहा है कि यह सुपरसोनिक अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट संभवतः भारत की ब्रह्मोस मिसाइल थी।
- पाकिस्तान द्वारा इस घटना पर भारत से जवाब माँगा गया है। भारत ने फिलहाल इस घटना पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

ब्रह्मोस (Brahmos)

- यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों को जोड़ कर रखा गया है।
- ब्रह्मोस इंजन का पहला चरण ठोस रॉकेट बूस्टर द्वारा, दूसरे चरण में तरल रैमजेट द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। पहले चरण में इस्तेमाल होने वाला प्रणोदक (propellant) ठोस ईंधन है और दूसरे चरण में प्रयुक्त होने वाला तरल ईंधन है। यह मैक 2.0 से 2.8 की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है।

ब्रह्मोस पर भारत – रूस

- दोनों देशों ने 2000 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों के निर्माण और उन्हें अपने मित्र देशों को निर्यात करने पर सहमति व्यक्त की है।
- भारत ने आठ युद्धपोतों में इस मिसाइल को शामिल किया है। वे राजपूत वर्ग के डिस्ट्रॉयर, तलवार वर्ग के युद्धपोत, शिवालिक वर्ग, कोलकाता वर्ग, विशाखापत्तनम वर्ग और नीलगरी वर्ग हैं।

ब्रह्मोस का निर्यात

- ब्रह्मोस का निर्यात मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, ओमान, चिली और ब्रुनेई को किया जाता है।

फिजिटल शिक्षा

- इस वर्ष के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने भारत के पहले केंद्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है।
- इसके अतिरिक्त देश में नवोदित भारतीय प्रतिभाओं में कौशल विकास तथा कौशल उन्नयन के लिए देश स्टैक ई-पोर्टल (एक डिजिटल इकोसिस्टम) का शुभारम्भ किया गया है। यह देश में जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने में सहायता करेगा।
- देश के सभी छात्रों तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय की सरकार की अवधारणा, "एजुकेशन एट डोर स्टेप " के लिए महत्वपूर्ण है तथा इसे भारतीय शिक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाना चाहिए।
- हावर्डेक्स (Havardx जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है) तथा एडेक्स (Edx हार्वर्ड और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा एक विशाल ओपन ऑनलाइन कोर्स प्रदाता) के लॉन्च के बाद, एडेक्स के सर्वाधिक नामांकन करने वालो में भारतीय छात्रों का (अमेरिकी छात्रों के बाद) दूसरा स्थान है।
- हालांकि, यह चिंता का विषय है कि कि केवल 16% छात्रों ने ही इन 'डिजिटल ओनली' कोर्स को पूरा किया।

भारत में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थिति:

भारत में 2 डिजिटल विश्वविद्यालय हैं

- पहला केरल में IIIT-K (कोझिकोड) को अपग्रेड करके स्थापित किया गया था।
- दूसरा जोधपुर में स्थापित किया गया है।

डिजिटल शिक्षा की चुनौतियां:

- महामारी के दौरान लगभग 2 मिलियन छात्रों और 700,000 शिक्षकों के साथ काम करने के पिरामल फाउंडेशन के प्राप्त अनुभवों के द्वारा हमें डिजिटल एप्रोच की कमियों के बारे में पता चला। **उनमें से कुछ निम्नवत वर्णित है:**

छात्रों के लिए समस्या :-

- छात्र ऑनलाइन अधिगम में संक्रमण के दौर से गुजरते हैं।
- छात्र एक संरक्षक या सहकर्मी समूह की अनुपस्थिति में निराशा का अनुभव करते हैं तथा वे परीक्षण और असाइनमेंट में भी सहज नहीं होते।

शिक्षकों के लिए समस्या:

- शिक्षकों को ऑनलाइन सामग्री के उत्पादन में समस्या होती है।
- ऑनलाइन शिक्षण के दौरान बच्चों का ध्यान कक्षा में बनाये रखना मुश्किल होता है।

'फिजिटल मॉडल':

- 'फिजिटल' मॉडल जो साप्ताहिक या पाक्षिक व्यक्तिगत शैक्षिक सत्रों के साथ ऑनलाइन पाठ्यक्रम का सम्मिलन करता है।

- फिजिटल मॉडल की शिक्षा छात्रों को निम्नलिखित माध्यमों से सहयोग देती है -
- ऑनलाइन सीखने के लिए संक्रमण से बचाव
- अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की प्रेरणा
- उनके परीक्षण और असाइनमेंट को पूर्ण करने में सहायता।
- फिजिटल मॉडल की शिक्षा, शिक्षकों को भी निम्नलिखित माध्यमों से सहयोग देती है

- छात्रों को व्यस्त रखने में,
- छात्रों के व्यवहार पैटर्न को समझकर उनके लिए प्रासंगिक निर्णय में तथा उन निर्णयों को लागू करने में
- लेकिन इसके अतिरिक्त, हमें वास्तव में समावेशी और गेम-चेंजिंग होने के लिए कई अन्य घटकों की आवश्यकता होगी।

भारतीय चिकित्सा शिक्षा प्रणाली

- यूक्रेन में उत्पन्न संकट और इसके परिणामस्वरूप मेडिकल छात्रों को वहाँ से सुरक्षित वापस निकालने, आरक्षण से संबंधित मुकदमेबाज़ी के कारण स्नातकोत्तर काउंसलिंग (Post-Graduate Counselling) में देरी तथा तमिलनाडु राज्य द्वारा NEET परीक्षा से बाहर होने हेतु कानून बनाने के कारण भारत की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली ने अत्यधिक प्रतिकूल रूप से ध्यान आकर्षित किया है।

- इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि व्यवस्था में क्या कमी है और स्थिति से निपटने हेतु क्या पर्याप्त उपाय किये जाने की ज़रूरत है।

भारत में चिकित्सा शिक्षा की समस्याएँ

- **मांग-आपूर्ति में असंतुलन:** जनसंख्या मानदंडों के मामले में एक गंभीर समस्या मांग-आपूर्ति में व्याप्त असंतुलन की स्थिति है। निजी कॉलेजों में इन सीटों की कीमत प्रति वर्ष 15-30 लाख रुपए (छात्रावास खर्च और अध्ययन सामग्री शामिल नहीं) के बीच है।

- यह राशि अधिकांश भारतीय जितना खर्च कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक है। गुणवत्ता पर टिप्पणी करना मुश्किल है क्योंकि इसका कोई निश्चित मानदंड नहीं है। हालांँकि निजी-सार्वजनिक विभाजन के बावजूद अधिकांश मेडिकल कॉलेजों में यह अत्यधिक परिवर्तनशील और प्रतिकूल है।
- **कुशल संकाय/फैकल्टी का मुद्दा:** नए मेडिकल कॉलेज खोलने की सरकार की पहल गंभीर रूप से फैकल्टी/संकाय के अभाव से प्रभावित है। सबसे निचले स्तर को छोड़कर, जहांँ कि नए प्रवेशकर्त्ता आते हैं, अन्य सभी स्तरों पर नए कॉलेजों द्वारा मौजूदा मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों की ही भर्ती की जाती है। शैक्षणिक गुणवत्ता एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।
- मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) ने भूतपूर्व फैकल्टी और भ्रष्टाचार की पहले की कई खामियों को दूर करने की कोशिश की। इसने संकाय की अकादमिक कठोरता में सुधार के लिये पदोन्नति हेतु आवश्यक 'प्रकाशनों' की शुरुआत की है लेकिन इसके परिणामस्वरूप संदिग्ध गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं की भरमार हो गई है।
- **कम डॉक्टर-रोगी अनुपात:** भारत में 11,528 लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर और 483 लोगों पर एक नर्स है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित 1:1000 से काफी कम है।
- **पुराना पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली:** चिकित्सा क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, लेकिन भारत में चिकित्सा अध्ययन पाठ्यक्रम को तद्नुसार अपडेट नहीं किया जाता है।
- **सामाजिक जवाबदेही का अभाव:** भारतीय मेडिकल छात्र ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करते हैं, जो उन्हें स्वास्थ्य चिकित्सकों के रूप में सामाजिक जवाबदेही प्रदान करता हो।
- **निजी मेडिकल कॉलेजों के साथ समस्याएँ:** 1990 के दशक में कानून में बदलाव ने निजी स्कूल खोलना आसान बना दिया और देश में ऐसे कई मेडिकल संस्थान उभरे, जो व्यवसाइयों और राजनेताओं द्वारा वित्तपोषित थे, जिन्हें मेडिकल स्कूल चलाने का कोई अनुभव नहीं था। इसने चिकित्सा शिक्षा का काफी हद तक व्यावसायीकरण कर दिया।

- **चिकित्सा शिक्षा में भ्रष्टाचार:** चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में कपटपूर्ण व्यवहार और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जैसे फर्जी- डिग्री, रिश्वत और दान, प्रॉक्सी संकाय आदि एक बड़ी समस्या है।

सुधार:

- मेडिकल स्कूल स्थापित करने और सीटों की सही संख्या के लिये अनुमति देने हेतु मौजूदा दिशा-निर्देशों पर फिर से विचार करने की सख्त ज़रूरत है।
- प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों को शिक्षण विशेषाधिकार देना और ई-लर्निंग टूल की अनुमति देना पूरे सिस्टम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी को दूर करेगा। साथ ही इन सुधारों से शिक्षण की गुणवत्ता से समझौता किये बिना मौजूदा चिकित्सा सीटों को दोगुना किया जा सकता है।
- सतत् शिक्षण प्रणालियों पर आधारित आवधिक पुन: प्रमाणन परिवर्तन की तीव्र गति के साथ बने रहने के लिये आवश्यक हो सकता है।
- छात्रों को अपने बुनियादी प्रबंधन, संचार एवं नेतृत्व कौशल में सुधार करने की आवश्यकता है।
- डॉक्टरों के रूप में उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।
- कक्षाओं में विषयों का एकीकरण, नवीन शिक्षण विधियों तथा अधिक प्रचलित प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता है।
- कॉलेजों में चिकित्सा अनुसंधान और नैदानिक कौशल पर कार्य करने की आवश्यकता है।

उठाए जाने वाले कदम

- **सीटों को बढ़ना:** कई संस्थानों ने निजी-सार्वजनिक भागीदारी मॉडल का उपयोग कर ज़िला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में परिवर्तित करके सीटों में वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। **नीति आयोग** इसी दिशा में अग्रसर है।
- हालाँकि सरकार को इन विचारो को लागू करने से पहले एक कार्यात्मक नियामक ढाँचा तथा एक उचित सार्वजनिक-निजी मॉडल जो निजी क्षेत्र के साथ-साथ देश की ज़रूरतों को पूरा करता हो, को मज़बूत करने की आवश्यकता है।

- मुख्यतः राजनीतिक-निजी क्षेत्र के गठजोड़ के कारण हम बुरी तरह विफल रहे हैं।
- **कॉलेज फीस को नियंत्रित करना:** नेशनल मेडिकल काउंसिल (National Medical Council- NMC) द्वारा कॉलेज फीस को विनियमित करने के हालिया प्रयासों का मेडिकल कॉलेजों द्वारा विरोध किया जा रहा है। सरकार को निजी क्षेत्र में भी चिकित्सा शिक्षा पर सब्सिडी देने या वंचित छात्रों के लिये चिकित्सा शिक्षा के वित्तपोषण के वैकल्पिक तरीकों पर गंभीरता से विचार करना चाहिये।
- **नियमित गुणवत्ता मूल्यांकन:** मेडिकल कॉलेजों का गुणवत्ता मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाना चाहिये, साथ ही रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई जानी चाहिये। NMC द्वारा सभी मेडिकल स्नातकों के लिये गुणवत्ता नियंत्रण उपाय के रूप में एक सामान्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।
- **व्यावसायिक स्वास्थ्य शिक्षा में परिवर्तनः** आज की चिकित्सा शिक्षा ऐसे पेशेवरों को तैयार करने में सक्षम होनी चाहिये जो 21वीं सदी की चिकित्सा प्रणाली के अनुरूप हो। लैंसेट रिपोर्ट '**हेल्थ प्रोफेशनल्स फॉर ए न्यू सेंचुरी: ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एजुकेशन टू स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम्स इन ए इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड' (2010)** स्वास्थ्य पेशेवर या व्यावसायिक शिक्षा में बदलाव के लिये प्रमुख सिफारिशों की रूपरेखा प्रदान करती है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- चिकित्सा पेशेवरों के मानकों को बढ़ाने के अलावा जीवनशैली और जीवन भर की बीमारियों के साथ बढ़ती उम्र वाली आबादी की सेवा के लिये स्वास्थ्य पेशेवरों की बढ़ती कमी को पूरा करने हेतु प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है।